

Form No.III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)





App - A
 Crim - 1

परखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी (पाली)

रमेश चरमार व सच्च बनाम देवनाथ क मल्ल

कदम... पत्रिका-पत्र 212 R.A.E. नम्बर सन्

अन्तर्गत धारा 39 212 R.A.E. आदेश 39 नियम 1 व 2 C.P.C.

क्र म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
122	<p>वकील जार्जी भी कपिल त्रिवेदी उप वकील जार्जी जे जार्जना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.स.ब.न. मा.र.म.री अधिनियम संपादित आदेश-39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के तहत बिराह अजर्जी के उस्तुत किया। जो दर्ज रिजिस्टर है। अजर्जीगण जरिये नोटिस के तलब है। पत्रावली बास्ते जबाब हेतु आमन्त्रा दिनांक 4/7/2022 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली) 4/7/2022 </p> <p>वकील जार्जी उप पत्रावली के अजर्जी संख्या 01 से 04 के नोटिस तामील सुवा जाल जो मामिल पत्रावली किया गया। मुल पत्रावली से अजर्जी संख्या 01 से 03 की तरफ रत आन्तुमुमाद अधिवक्ता का कालान नामा जाल जो मुल पत्रावली के सलमन है। पत्रावली बास्ते अजर्जी संख्या 01 से 03 तक के जबाब हेतु आमन्त्रा दिनांक 2/8/2022 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली) 2/8/2022 </p> <p>पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 6/9/2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सी.डी.ए. </p>	<p>अप्राधी क्र. 1-23 की तरफ से अजर्जी </p>

19/4/2024

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अध्यायों में अधिवक्ता उपस्थित
न करके हेतु अध्यायों में अधिवक्ता को शामिल कर देना है।
आवृत्ति पर प्रत्येक गरीबों में ही, अध्यायों में प्रत्येक का
पक्ष बंद किया जाना है।

प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र में 'not press' लिखा
जाना प्रार्थना को सारा चलाता नहीं चलाता कर: प्रार्थना-पत्र
काले सचारा पर राज करण। अधिसूचना क्र. अधिसू-39
निर्देश 1 व 2 सी-पीसी को 'not press' में खरीज किया जाता
है। पत्रावली में प्रत्येक प्रार्थना के कर से कम है। एवं प्रकरण
मूल वाद के संलग्न है।

सहायक क्लर्क
(एन.टी.ओ.) देवपुरी (पाली)

not press

Kanpur
Atv/19/4/24